

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 63

दिनांक : 27.10.2025

कार्यालय आदेश

मैं अम्बिका सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) व 450(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह नवम्बर 2025 में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों के लिए उदयपुर न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दायिद्वक कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड संबंधी कार्य तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे – मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest) व अन्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करती हूँ :-

November 2025 Remand Duty			
क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	02.11.2025	श्री रविन्द्र सोलंकी, A.C.J. & J.M. No.1 (North), Udaipur	8769148002
2	05.11.2025	श्री रविन्द्र सोलंकी, A.C.J. & J.M. No.1 (North), Udaipur	8769148002
3	08.11.2025	श्री देवेन्द्र पुरी, A.C.J. & J.M. No.1 (South), Udaipur	8007244161
4	09.11.2025	श्री देवेन्द्र पुरी, A.C.J. & J.M. No.1 (South), Udaipur	8007244161
5	16.11.2025	श्रीमती चेताली गोयल, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.8, Udaipur	9414819333
6	22.11.2025	श्री मनोज सिंघारिया Spl. J.M. (N.I.Cases) No.5, Udaipur	8952824143
7	23.11.2025	श्री मनोज सिंघारिया Spl. J.M. (N.I.Cases) No.5, Udaipur	8952824143
8	30.11.2025	श्रीमती शिखा चारण, Nyayadhikari Gram Nyayalaya, Girva Udaipur	9351271394

नोट : (1) उपर्युक्त वर्णित सारणी के अतिरिक्त, उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे।

(2) उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात् अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है अथवा अवकाश पर रहने/मुख्यालय परित्याग करने की प्रस्तावना करता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्यूटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके ही पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(4) उपरोक्त अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्यदिवस को न्यायालय समय पश्चात् समय से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी। रिमाण्ड ड्यूटी के आगामी दिवस पर अवकाश घोषित होने की दशा में उक्त घोषित अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन उक्त दिवस से पूर्व दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किए जाने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2025/4060 - 4065

दिनांक : 27.10.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालेनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक उदयपुर को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमाण्ड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. बार एसोसियेशन उदयपुर

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)